PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Thu, 08 Sep 2016, Page 1
Width: 19.13 cms, Height: 21.62 cms, a3, Ref: 51.2016-09-08.7

ई-बॉक्स में बच्ची की कंप्लेंट पर पहली FIR

Poonam.Pandey@timesgroup.com

नई दिल्ली : हरियाणा के हिसार में एक स्कूली छात्रा के पिता ने नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) के ई-बॉक्स पर यौन शोषण की शिकायत की थी। आयोग की पहल पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जो ई-बॉक्स लॉन्च होने के बाद पहली कार्रवाई है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाले NCPCR ने करीब 10 दिन पहले स्टूडेंट्स के यौन शोषण संबंधी शिकायत के लिए ई-बॉक्स की शुरुआत की थी। इसी में 1 सितंबर को हिसार के एक सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत मिली। NCPCR की टीम स्कूल पहुंची तो मालूम हुआ कई छात्राओं के साथ भी ऐसा हो रहा है। टीम की पहल पर एफआईआर दर्ज हो गई। आरोप है कि पैरंट्स और स्कूल अथॉरिटी को बिना बताए पुलिस पीड़ित को पूछताछ के लिए ले गई और केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। NCPCR ने सिटी मैजिस्ट्रेट से 5 सितंबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी, जो अब तक नहीं भेजी गई।

ऐसे करें शिकायत

- चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की कंप्लेंट ncpcr.gov.in पर करनी होगी।
- यहां ई-बॉक्स का एक रेड बटन है, जिसे क्लिक करने पर यह दूसरे पेज पर ले जाता है।
- यहां अपने नाम, फोन नंबर या ई-मेल और शिकायत लिखकर भेजी जा सकती है।
- इसे चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है और एनिमेशन के साथ समझाया गया है।